UPME010082652026

<u>प्रभारी-विशेष न्यायाधीश, अनन्य न्यायालय (पोक्सो अधिनियम)/अपर सत्र न्यायाधीश, मेरठ।</u>

उपस्थितः:- शिवानी सिंह प्रथम।

जे०ओ० कोड यू०पी० 1647

कम्प्यूटर रजिस्ट्रेशन संख्या- 2767 सन् 2026

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या- 2239 सन् 2026

वसीम पुत्र अकबर, निवासी मदीना कॉलोनी, नूर नगर, थाना लिसाड़ी गेट, जनपद मेरठ।

..... प्रार्थी/अभियुक्त।

---बनाम---

सरकार ..... अभियोजन।

सत्र वाद संख्या- 2025/2022
मु०अ०सं०-418/2022
धारा- 376, 506 भा०द०सं०।
थाना- लिसाड़ी गेट , जिला मेरठ।

राज्य की ओर से विद्वान अधिवक्ता- श्री अवकाश जैन, एवं नरेन्द्र चौहान।
प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता- श्री देवेन्द्र कुमार ।

<u>दिनांक 16.06.2026</u>

प्रार्थी/अभियुक्त वसीम पुत्र अकबर की ओर से सत्र वाद संख्या 2025/2022, सरकार बनाम वसीम, मु०अ०सं० 418/2022, अन्तर्गत धारा 376, 506 भा०द०सं०, थाना लिसाड़ी गेट , जिला मेरठ के प्रकरण में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त जमानत पर था परन्तु उसकी अचानक तबीयत खराब हो गई, जिस कारण वह न्यायालय में उपस्थित नही हो सका तथा ना ही अपने अधिवक्ता को सूचना दे सका, जिस कारण माननीय न्यायालय द्वारा उसे गैर हाजिर मानकर उसके विरूद्ध बिना जमानती वारण्ट जारी कर दिये गये। प्रार्थी दिनांक 22.05.2026 से जिला कारागार मेरठ में निरूद्ध है। प्रार्थी/अभियुक्त भविष्य में समय से तारीख पर माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर प्रत्येक आदेश का पालन करेगा। अतः उनकी ओर से प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा तर्क दिया गया है कि अभियुक्त ने न्यायालय द्वारा पूर्व में प्रदत्त की गयी जमानत का दुरूपयोग किया गया है। अतः उसे पुनः जमानत दिये जाने का विरोध किया गया।

मैंने जमानत प्रार्थना पत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों को सुना तथा उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत मामले में अभियुक्त पूर्व में जमानत पर था, लेकिन अभियुक्त के न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण न्यायालय द्वारा दिनांक 19.02.2026 को उसके विरूद्ध जमानती वारण्ट जारी किये गये। अभियुक्त को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, न्यायालय द्वारा अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर उसका धारा 309 द.प्र.स. के अंतर्गत वारण्ट बनवाकर उसे जिला कारागार, मेरठ में निरुद्ध किया गया। अभियुक्त दिनांक 22.05.2026 से प्रस्तुत मामले में जिला कारागार, मेरठ में निरूद्ध है। अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र उसकी पैरोकार श्रीमति सितारा के शपथ पत्र से समर्थित है।

अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत, प्रकरण के गुणदोष पर बिना कोई मत व्यक्त किये अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का पर्याप्त आधार है। अतः अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त वसीम पुत्र अकबर की ओर से सत्र वाद संख्या 2025/2022, सरकार बनाम वसीम, मु०अ०सं० 418/2022, अन्तर्गत धारा 376, 506 भा०द०सं०, थाना लिसाड़ी गेट, जिला मेरठ के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा अंकन 50,000/- (पचास हजार) रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा समान धनराशि के दो नये प्रतिभू न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाये।

प्रार्थी/अभियुक्त निम्नवत शर्तों का अनुपालन करेगा-

1- यह कि अभियुक्त जमानत पर छूटने के बाद साक्षीगण/साक्ष्य से छेड़खानी नहीं करेगा।

2- यह कि अभियुक्त प्रत्येक नियत तिथि, जो न्यायालय द्वारा मुकर्रर होगी, पर व्यक्तिगत रूप से अथवा अधिवक्ता के माध्यम से मौजूद रहेगा। अभियुक्त की बिना किसी युक्तियुक्त एवं यथेष्ट कारण के गैर मौजूदगी होने पर संबंधित न्यायालय अन्तर्गत धारा 229ए भा०द०सं० के तहत सम्यक कार्यवाही करने हेतु अधिकृत रहेगा।

3. यह कि अभियुक्त द्वारा भविष्य में अपना स्थायी पता परिवर्तित किया जता है, तो उस संबंध में वह संबंधित थानाध्यक्ष को सूचना प्रेषित करेगा।

दिनांक 16.06.2026

(शिवानी सिंह प्रथम)
प्रभारी विशेष न्यायाधीश, अनन्य न्यायालय (पोक्सो अधिनियम)/
अपर सत्र न्यायाधीश, मेरठ।
जे०ओ० कोड यू०पी० 1647

This is uncertified copy for information/ reference. For authentic copy please refer to certified copy only.